२

# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रफरेंस/114/2006

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.......प्रार्थी

बनाम

1- मूलचन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद (मृतक)
2- मु0 हरभेजी बेवा हन्नूरा
3- सूर्यप्रकाश पुत्र हन्नूरा
4- रमेश चन्द्र पुत्र मूलचन्द (मृतक)
4/1- शारदा देवी पत्नी रमेश चंद
4/2- राजेश } पुत्रगण रमेश चंद
4/3- अनिल कुमार
4/4- दिलीप कुमार
5- किशन लाल पुत्र गिरधारी (मृतक)
5/1- मोहनी देवी पत्नि किशनलाल
5/2- सुधानिधि चक पाण्डे पुत्र किशनलाल
5/3- ऊषा पुत्री किशनलाल पत्नि सुशील चौयाल
5/4- गुड्डी पुत्री किशनलाल पत्नि गिर्राज प्रसाद
6- कन्हैया लाल । पुत्रगण गिरधारी
7- रमेशचंद ।
8- कृष्णलाल त्यागी } पुत्रगण गिर्राज जाति ब्राहम्ण साकिन नमक कटरा भरतपुर
9- कन्हैयालाल
10- रमेशचंद गौड़
11- मंत्री भगवत पुत्र खिच्चू भरतपुर हरिजन गृह निर्माण सहकारी समिति भरतपुर
12- नगर सुधार न्यास भरतपुर
13- कामेश्वर दयाल पुत्र गिर्राज प्रसाद दत्तक हरीशचद ब्राहमण बासन गेट भरतपुर

........अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना अन्तर्गत धारा 82 राज. एवं धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 810 कस्बा भरतपुर चक नं. 2 आदेश दिनांक 31.5.54 मु0 नं. 55/54 न्यायालय ए.सी.एम. भरतपुर भूमि संपरिवर्तन आदेश एस.डी.ओ. भरतपुर दिनांक 18.8.1987 व 5.7.1990

........2

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्टेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेफरेन्स / 114 / 2006

सरकार तहसीलदार भरतपुर बनाम मूलचन्द वगे0

उपस्थित :—

पैरोकार सरकार, प्रार्थी

श्री महाराजसिंह डांगुर अभिभाषक अप्रार्थी0,नं. 13,

## निर्णय

दिनांक 18.10.2024

प्रार्थी तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीयान अन्तर्गत इस आश्य का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 640, 641,643, 644, 645, 646, 660, 661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,675, किता 21 रकवा 22 बीघा 07 विस्वा बाके ग्रांम कस्वा भरतपुर चक नं. 2 तहसील भरतपुर सरकार दौलत मदार खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी एवं उक्त विवादित भूमि कस्वा चंक नं. 2 भरतपुर मे स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर राजस्व कर्मचारियों से अनियमित तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज दुर्गाप्रसाद पुत्र गिरवर कौम ब्राहम्ण सा0 मुरवारा हाल भरतपुर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से पट्टेदार साल 1 अंकित करा लिया है। जो इन्द्राज अवैध रुप से दुर्गाप्रसाद का अंकित था उसकी हैसियत भी अस्थाई पट्टेदार की थी एवं समस्त भूमि सरकारी थी सरकारी भूमि पर शिकमी काश्त का इन्द्राज किया जाना किसी भी कानून की दृष्टि विधि अनुरुप नहीं है। इसलिये उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा बिना भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाये इकतरफा आदेश दिनांक 11.1.71 पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थीगण पट्टेदारान ने छल पूर्वक राजस्व रिकार्ड में अपने पक्ष में शिकमी कृषक का सरकारी भूमि पर इन्द्राज कराते हुये राजस्व कर्मियों से अनियमित रुप से जरिये नामान्तकरण संख्या 810 से खातेदारी अधिकारी अनुचित रुप से प्राप्त कर लिये । नामान्तकरण संख्या 810 में कॉलम नं. 5 में अप्रार्थीयान शिकमी कृषकों को पट्टेदार दर्शाते हुये खातेदारी अधिकार दिये है। जब कि अप्रार्थीयान की हैसियत सरकारी भूमि पर अतिक्रमी की थी अतिक्रमी का किसी भी कानून में खातेदारी अधिकार अर्जित नही हो सकते इस प्रकार यह नामान्तकरण तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अवैधरुप से स्वीकृत किया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 11 ने उपखण्ड अधिकारी के यहां से विवादित आराजी खसरा नं. 671,672,373 में से 1756 वर्ग गज भूमि को आदेश दिनांक 18.8.87 से 800 वर्गगज भूमि को आदेश दिनांक 5.7.90 से गैर कानूनी रुप से आवासीय व वाणिज्यिक

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है )

लिपिक
कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कराकर सरकारी भूमि पर निर्माण करने पर उतारु हैं। जब कि अप्रार्थी संख्या 11 उक्त भूमि पर न तो राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित है और न ही इस प्रकार भूमि संपरिवर्तन कराने का उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार सपंरिवर्तन आदेश बिना रिकार्ड का परीक्षण किये पारित किये है जो अवैध एवं अनुचित है। विवादित भूमि लवे सरकूलर रोड एवं आबादी के नजदीक होने के कारण बेशकीमती है तथा शहर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु यह भूमि अत्यन्त उपयोगी है। अप्रार्थी संख्या 12 नगर विकास न्यास भरतपुर ने उक्त भूमि को आवाप्त कर लिया है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 मुआवजा प्राप्त करने को आमादा है जब कि भूमि सरकारी होने से अप्रार्थीगण किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं है।

अतः नामान्तकरण संख्या 810 एवं न्यायालय एस.डी.ओ. भरतपुर के आदेश दिनांक 31.5.54 एवं ए.सी.एम. भरतपुर के निर्णय दिनांक 11.1.71 एवं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.8.87 व 5.7.90 को निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक एलआर / 24 / 5051 दिनांक 8.8.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 13 के अभिभाषक श्री महाराज सिंह डांगुर उपस्थित आये अन्य अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 13 की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी सरकार दौलत मदार खाते राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2002 में दर्ज थी एवं उक्त विवादित भूमि कस्वा चक नं. 2 भरतपुर मे स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर राजस्व कर्मचारियों से अनियमित तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज दुर्गाप्रसाद पुत्र गिरवर कौम ब्राहम्ण सा0 मुरवारा हाल भरतपुर विना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से पट्टेदार साल 1 अंकित करा लिया है। दुर्गाप्रसाद पुत्र गिरवर सिह ने कूट रचित तरीके से आराजी खसरा नम्बर 660 व 668 को छोडते हुये शेष आराजी किता 19 पर दिनांक 31.5.54 को आपसी

.....4

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है )
लिपिक
कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

और पर राजीनामा करते हुये शिकमी काश्त सम्वत् 2005 लगायत 2010 का इन्द्राज करने सम्बन्धी इकतरफा आदेश पारित करा लिया और राजस्व रिकार्ड में शिकमी काश्तकार दर्ज करा लिया। जो इन्द्राज अवैध रुप से दुर्गाप्रसाद का अंकित था उसकी हैसियत भी अस्थाई पट्टेदार की थी एवं समस्त भूमि सरकारी थी सरकारी भूमि पर शिकमी काश्त का इन्द्रज किया जाना किसी भी कानून की दृष्टि विधि अनुरुप नहीं है। अप्रार्थीगण छल पूर्वक राजस्व रिकार्ड में अपने पक्ष में शिकमी कृषक का सरकारी भूमि पर इन्द्राज कराते हुये राजस्व कर्मियों से अनियमित रुप से जरिये नामान्तकरण संख्या 810 से खातेदारी अधिकारी अनुचित रुप से प्राप्त कर लिये । नामान्तकरण संख्या 810 में कॉलम नं. 5 में अप्रार्थीयान शिकमी कृषकों को पट्टेदार दर्शाते हुये खातेदारी अधिकार दिये है। जब कि अप्रार्थीयान की हैसियत सरकारी भूमि पर अतिक्रमी की थी अतिक्रमी को किसी भी कानून में खातेदारी अधिकार अर्जित नही हो सकते इस प्रकार यह नामान्तकरण तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अवैधरुप से स्वीकृत किया है जो निरस्त योग्य है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–13 विवादित आराजी सरकारी भूमि नहीं रही है। अप्रार्थी के पूर्वजों को विवादित आराजी पट्टे पर दी गई थी। जिस पर विधिवत रुप से काबिज चले आ रहे थे। तहसीलदार ने नियमों के तहत खातेदारी अधिकार दिये हैं। प्रस्तुत रेफरेन्स काफी देरीना पेश किया गया है। जो चलने योग्य नहीं है। विवादित आराजी को नगर विकास न्यास ने अवाप्त कर लिया है। विवादित आराजी पर रिहायसी मकानात बने हुये हैं। वाणिज्यक गतिविधी चल रही हैं। इस प्रकार यह रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है। रेफरेन्स खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। जमावन्दी सम्वत् 2002 कस्वा भरतपुर चक नं. 2 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 640, 641,643, 644,645, 646,660, 661, 662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,675 किता 21 रकवा 22 बीघा 07 विस्वा वाके कस्वा भरतपुर चक नम्बर 2 तहसील भरतपुर पर मकबूजा मालिकान का अंकन हो रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी सरकारी भूमि है। खसरा गिरदावरी 2012–15 कस्वा भरतपुर चक नम्बर 2 के कालॅम नम्बर 6 में दर्ज नोट के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियो से मिल कर गलत

.....5

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्टरेट, भरतपुर

रेफरेन्स / 114 / 2006
सरकार तहसीलदार भरतपुर बनाम मूलचन्द वगै0

...प से अपने आप को विवादित आराजी पर पट्टेदार साल एक दर्ज करा लिया जो ...धि विरुद्ध है, साल एक पट्टा को आगे बढाये जाने का कोई अभिलेख अप्रार्थी ने ... नहीं किया गया है। नामान्तकरण संख्या 810 तारीखी 12.6.1962 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 810 के कॉलम संख्या 5 कृषक के नाम मूलचन्द बल्द दुर्गाप्रसाद व गिरधारी व गिर्राज प्रसाद पिसरान गिरवरसिंह व किशन लाल बल्द गिरधारीलाल कौम ब्राहम्ण सा. नमक कटरा पट्टेदारान बहिस्सा बराबर दर्ज विवादित आराजी पर दर्ज हैं, इसी नामान्तकरण के कॉलम संख्या 11 में मूलचन्द बल्द दुर्गाप्रसाद व गिरधारी व गिर्राज प्रसाद पिसरान गिरवरसिंह व किशन लाल बल्द गिरधारीलाल कौम ब्राहमण सा. नमक कटरा खातेदारान बहिस्सा बराबर दर्ज किया हुआ है, नामान्तकरण के पुश्त पर अंकित नोट आदेश जो इस प्रकार है :–

> "………मुताबिक RTA हस्वा दफा 15 दाखिल खारिज खातेदारी 22बीघा 7 विस्वा जमा ……व हक़ मूलचन्द वगेराह मुन्दरजे खाना नम्बर 12 मन्जूर है अमल किया जावे ता. 12.6.62 एस.डी. /– तहसीलदार भरतपुर……..।"

नामान्तकरण में हो रहे अंकन आदेश से जाहिर है कि तहसीलदार भरतपुर ने बिना सक्षम अधिकारी के आज्ञा के नियमों के विपरीत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत पट्टेदारान को विवादित आराजी पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार भरतपुर को उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी को खातेदारी देने का अधिकार नहीं देते हैं, तहसीलदार भरतपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों के खिलाफ यह नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जैसा कि आर0बी0जे0(6)1999 पेज 172 में प्रतिपादित किया है –

> "Rajasthan Tenancy Act.Section 15. Under this section only Assistant Collector can grant khatedari rights-under section 15 of the Tenancy Act.. The Tehsildar can not pass order under this section. Therefore, attestation of mutation by the Tehsildar is illegal.....the order of Tehsildar is Void ab initio."

इसके बाद दुर्गाप्रसाद पुत्र गिरवर ने अप्रार्थी संख्या 1 तथा 5 लगा. 7 एवं 8, 9 व 10 के पिता गिर्राज पुत्र गिरवर के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में

……….6

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है
लिपिक
कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेफरेन्स / 114 / 2006
सरकार तहसीलदार भरतपुर बनाम मूलचन्द वगै0

दावा धारा 88–89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर आपसी सहमति राजीनामा के आधार दावा दिनांक 11.1.71 को डिग्री करा लिया जो नियमों के विपरीत होने काबिल घोषित की जावे। अप्रार्थी संख्या 11 ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1,672,673 में से 1756 वर्गगज भूमि को एस.डी.ओ.भरतपुर के आदेश दिनांक 8–87 से एवं 800 वर्ग गज भूमि को आदेश दिनांक 5.7.90 से गैर कानूनी रुप आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रापंरिवर्तन करा लिया है जो काबिल शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

जहाँ तक म्याद रेफरेन्स के म्याद का है इस सम्बन्ध में निम्न रुलिंग पर विचार किया गया –

Rajasthan Tenancy Act.Section 15. के अन्तर्गत केवल सहायक कलक्टर को खातेदारी देने के अधिकार हैं तहसीलदार को नही।:–

राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 (8) में " Bar to making reference-No limitation prescribed- Held,reference against Mutation Competent.

**R.R.D. 1991 Pag No.492**

Revision Nos. 10 and 11/Banswara of 89, decided on 6th Aug.,1991.(a) Limitation Act, Sections 3 and 5-Impugned order passes without jurisdiction can be set aside at any time -Question or limitation need not be considered.(Para 14)

**R.R.D. 1992 Pag No.17**

Revision No. 114/Ganganagar of 89, decided on 12th Sept., 1991.(c) Limitation Act Section 3 - Impugned order, illegal and nonest - Such an order can be challenged at any time. (Para 3)

इसी प्रकार आर 0वी0जे0 (10) पेज 218 माननीय राज0 उच्च न्यायालय में प्रतिपादित किया है कि Rajasthan Land Rev. Act. 1956.. Section 82- No limitation is prescrived for making reference...

इस प्रकार तहसीलदार भरतपुर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 810 दिनांक 12.6.62 कस्बा भरतपुर चक न.2 तहसील भरतपुर जो मूलचन्द वल्द दुर्गाप्रसाद व गिरधारी व गिर्राज प्रसाद पिसरान गिरवरसिंह व किशन लाल वल्द गिरधारीलाल कौम ब्राहमण सा.

.....7

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
कलक्टर भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
भरतपुर

रेफरेन्स / 114 / 2006
सरकार तहसीलदार भरतपुर बनाम मूलचन्द वगै0

खसरा नमक बहिस्सा बराबर पट्टेदार से खातेदारी का स्वीकार किया गया है वह नियमों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज के रहता है, तथा इसके बाद विवादित आराजी पर दुर्गाप्रसाद पुत्र गिरवर ने अप्रार्थी संख्या 1 तथा 5 लगा. 7 एवं 9 व 10 के पिता गिर्राज पुत्र गिरवर के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर निर्णय / डिग्री दिनांक 11.1.71 एवं एस.डी.ओ.भरतपुर के आदेश दिनांक 18-8-87 नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य रहते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ कि वे नियम विरुद्ध खोले गये नामान्तकरण संख्या 810 दिनांक 12.6.62 को निरस्त किया जावे, तथा इसके बाद सहायक कलक्टर भरतपुर निर्णय / डिग्री दिनांक 11.1.71 एवं एस.डी.ओ.भरतपुर के आदेश दिनांक 18.8.87 को शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किये जाने हेतु प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

**अतः आदेश है कि: –**

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा नियम विरुद्ध स्वीकार किये गये नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 810 दिनांक 12-6-62 को निरस्त किया जावे, तथा इसके बाद सहायक कलक्टर भरतपुर निर्णय / डिग्री दिनांक 11.1.71 एवं एस.डी.ओ.भरतपुर के आदेश दिनांक 18.8.87 को शून्य घोषित किया जावे। विवादित आराजी गत आराजी खसरा नम्बर विवादित आराजी खसरा नम्बर 640, 641,643, 644,645, 646,660, 661, 662,663,664,665, 666,667,668,669,670,671,672,673,675 किता 21 रकवा 22 बीघा 07 विस्वा बाके कस्वा भरतपुर चक नम्बर 2 तहसील भरतपुर को पूर्वत राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। प्रकरण रेफर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 26.12.2024 को पेश हो। अभिभाषक उभय पक्षकारन को अवगत कराया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 18–10–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है
लिपिक
कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर